उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या /ए.–एम/75 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता मण्डोला वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में मद संख्या–232/47 के अन्तर्गत मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में 1856 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किये जाने के कम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:–

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	143695	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में 1856 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य।	56999.47	631/61

1– आवास आयुक्त (म0) के निर्देशान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
2– परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।
3– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
4– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
5– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नही किया जा रहा है।
6– खण्ड द्वारा लेबर सेस की निर्धारित धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
7– परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8– निर्माण लागत से अधिक कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।

(सन्तू राम)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पृ0सं0: 1397 /ए–एम/75 दिनांक: 6.4.2015

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव।
2 मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– मुख्य वास्तुविद नियोजक,उ0प्र0,आवास एवं विकास परिषद,इन्दिरा नगर लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5– अधीक्षण अभियन्ता, मण्डोला वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, गाजियाबाद।
6– अधिशासी अभियन्ता, तक0/निर्माण खण्ड–38, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, मण्डोला विहार, लखनऊ/गाजियाबाद।
7– मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर